संख्या 31011/5/2014-स्था.(क.IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001,
दिनांक : 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हवाई-टिकट की बुकिंग कराने के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19 जून, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/4/2014-स्था.(क.IV), का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत पर हवाई जहाज यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सीधे एयरलाइन (बुकिंग काउंटर, एयरलाइन की वेबसाइट) या प्राधिकृत ट्रैवल एजन्टों अर्थात् 'मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी' 'मेसर्स अशोक टूर और ट्रैवल्स लिमिटेड' और आई.आर.सी.टी.सी. (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/6/2002-स्था.(ग) के अनुसार आई.आर.सी.टी.सी. ही प्राधिकृत है।) से ही टिकट लेना होगा। (देखें : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/5/2014-स्था.(क.IV). इन ट्रैवल एजन्टों के वेब-पोर्टलों को भी एल.टी.सी. पर हवाई टिकट बुकिंग करने के लिए स्वीकार्य तरीका माना जाएगा, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। (देखें : व्यय विभाग के दिनांक 5 सितम्बर, 2014 कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/1/2012-ई-IV, 5 सितंबर, 2014)

2. यह देखा गया है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत न किए गए ट्रैवल एजन्टों से भी एल.टी.सी. के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग की छूट देने का अनुरोध करते हुए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से लगातार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में एल.टी.सी. लाभार्थियों द्वारा बताए जाने वाले सामान्य कारण यही हैं कि वे मार्गदर्शी सिद्धांत से अनभिज्ञ थे और उन्होंने गलती से अन्य ट्रैवल एजन्ट से टिकट बुक करा लिया।

3. सभी मंत्रालय/विभागों को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा-। में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें। जब भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए अग्रिम धनराशि की मांग की जाए या वह इसका लाभ उठाना चाहता है तब प्रशासन द्वारा इस बिन्दु पर जोर दिया जाए।

(एम. पी. रामा राव)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और लोक प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (का.ज्ञा./आदेशों<<स्थापना<<एलटीसी नियमावली) पर अपलोड करें।